कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
Phone No. 07727-223566, E-Mail ID :- dpobalodabazar@gmail.com

क्रमांक /2104/ मबावि. / स्था. / सखी / 2026 बलौदाबाजार, दिनाँक 30.01.2026

प्रति,

उप संचालक,
जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

विषयः– भर्ती की सूचना जिले में वेबसाईट में अपलोड करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यालय के दैनिक कार्यो का संचालन एवं सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए विभिन्न पदों हेतु सेवाप्रदाताओं की नियुक्ति हेतु जिले में दिनांक 06.02.2026 को जिले में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है।

उपरोक्तानुसार सेवाप्रदाताओं की भर्ती से संबंधित सम्पूर्ण विज्ञापन, नियम एवं शर्ते एवं आवेदन का प्रारूप जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

पृ. क्र./2105 / मबावि / स्था / सखी / 2025 बलौदाबाजार, दिनाँक 30.01.2026

प्रतिलिपि :–

01. संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :–

S.NO.	Position	Number of staff	Qualification
1	Case Worker	02	• Any women having a Bachelor in Law/ Social Work/ Sociology/ Social Science/ Psychology with at least 3 Years" Experience of working on women related relevant domains in a Government or Non-Government Project/ Programme. • She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utiliset for effective functioning of the centre.
2	Psycho-social Counsellor	01	• The service could be outsourced to any woman having professional degree/ diploma in psychology/ pshchiatry/neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years" Experience of working with a Government or Non-Government Health Project/ Programme at district level.
3	Multi-purpose Staff/Cook	01	• The multi-purpose activity could be oursourced to any person who is literate with knowledge / experience of working in the relevalnt domain. High school pass or equivalent will be preferred.

महत्वपूर्ण टीपः– शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त सेवा प्रदाताओं पदों पर के चयन के लिए नियम एवं शर्तें :–

01. उपरोक्त समस्त सेवा प्रदाता पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है।
02. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किए जाने वाले वर्ष के 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
03. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या 10वीं की अंकसूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
04. पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
05. आवेदकों द्वारा आवेदन में जमा किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र, केवल शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत की अवधि के पश्चात् होने पर ही मान्य किया जायेगा।
06. चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण मे अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।
07. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पश्चात् पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिध्द दोष प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता कि दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होना, होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाएं रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

09. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो वे अपात्र माने जायेंगे, तथा सेवा से तत्काल पृथक कर दिया जायेगा।

11. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

12. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव स्व प्रमाणित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।

14. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

15. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनपात्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

16. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जायेंगे।

17. वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा में भाग लेने उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

18. **दावा आपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

19. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

20. किसी भी अभ्यर्थी को पूर्व में राज्य के किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था से कार्य/व्यवहार असंतोषप्रद पाये जाने के कारण यदि उन्हे सेवा से पृथक किया गया हो अथवा उनकी संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की गयी हो तो ऐसे अभ्यर्थी को उपरोक्त पदों के लिए किये गये आवेदन को अपात्र किया जायेगा।

21. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा। आवेदन पत्र में आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल ऐड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

22. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के पदों पर अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जायेगी।

23. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

24. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नही होगा।

25. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता अनुसार होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की स्थिति में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

26. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृध्दि किए जाने पर इन्हें वृध्दि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जायेगा।

27. सेवा प्रदाता पदों के लिए वाक् इन इंटरव्यू तिथि 06.02.2026 को प्रातः 09 बजे से आरंभ किया जायेगा। जिसकी अनुमानित कार्ययोजना निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	समय	अनुमानित कार्यो का वितरण
01.	प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक	आवेदन संकलन एवं पंजीयन तथा सूचीकरण
02.	दोपहर 12.00 बजे	प्रारंभिक दावा आपत्ति सूची प्रकाशन
03.	दोपहर 12.30 बजे से 01.30 बजे तक	दावा आपत्ति प्राप्त करना
04.	दोपहर 01.30 बजे से 02.00 बजे तक	प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण
05	दोपहर 02.30 बजे	अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन
06	दोपहर 03.00 बजे से 04.00 बजे तक	वरीयता में अधिकतम 10 प्रतिभागियों की कौशल परीक्षा
07	संध्या 04.00 बजे से 05.00 बजे तक	साक्षात्कार

उक्त कार्यक्रम में आकस्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है।

2. नियुक्ति की प्रक्रिया :-

01. सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

02. सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

03. समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर वॉक इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे।

3.1 सेवाप्रदाताओं पदों के वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.2 सेवाप्रदाताओं के पदों पर न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे अधिकतम 10 अंक।

3.3 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टाप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिए जाएंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

3.5 वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक इन इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.7 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तनुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 में के उपकंडिका 3.1 एवं 3.2 एवं 3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 के अनुपात में जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तनुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

3.8 छत्तीसगढ़ शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. /3232/1538/सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन/के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वाक् –इन–इन्टरव्यू के लिए होता है तो वाक् इन इंटरव्यू के दौरान इन्हे प्राथमिकता दिया जाए।

3.9 अतः कंडिका 2.10 के आलोक में सखी वन स्टाप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता , जिनकी सेवाएं समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टाप सेंटर के पदो हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।

04. नियुक्ति की अवधि :–

4.1 इस समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिनियम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताएं भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं हेतु विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.4 चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

आवेदन का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए।चस्पा करें

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में केपिटल लेटर में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
5. स्थायी पता :– ....
6. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   दूरभाष/मोबाइल..
7. दिनांक 01.01.2026 को आयु :– वर्ष..................माह..................दिन..................
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है :– ....
9. हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :– ....
10. वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :– जाति ....वर्ग ....
    (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था में सेवारत है :– ....
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि :– ....
    एवं जीवित बच्चों की संख्या
14. शैक्षणिक योग्यता:– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापति प्रति संलग्न करें)

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

15. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

16. अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न हां/नही :– ....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :–

1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची।
2. 12वी की अंकसूची।
3. स्नातक की अंकसूची।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. रोजगार पंजीयन की प्रति।
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र।
8. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।
9. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।

- संलग्नों का विवरण–

1. .... 6. ....

2. .... 7. ....

3. .... 8. ....

4. .... 9. ....

5. .... 10. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा – पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :–......................

दिनांक :–....................